तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चैनसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 150 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चैनसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी तापू तहसील औसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.07.19 में उसके द्वारा (1) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 321 / 2002 दावा व स्थाई निषेधाज्ञा रामसिंह वगैरा बनाम हनुमानसिंह वगैरा का रिकॉर्ड जोधपुर रेकार्ड रूम में जमा दिया गया, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अति. कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1156 दिनांक 30.08.19 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय औसियां से संबंधित होने पर प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी औसियो को कार्यालय के पत्रांक 901 दिनांक 22.07.19 द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया तथा इसकी सूचना प्रार्थी को भी पृष्ठांकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी औसियां ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक 2761 दिनांक 09.09.19 प्रेषित की जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रावली चैनसिंह बनाम हड़मानसिंह वगैरा दिनांक 08.09.2004 को निस्तारण हो चुका है तथा पत्रांक 249 दिनांक 29.01.2011 के सूची कमांक 42 पर अंकित है जो जोधपुर रेकर्ड रूम में दफ्तर दाखिल किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार कलक्टर कार्यालय जोधपुर में जमा करवाया जा चुका है, परन्तु लोक सूचना अधिकारी नें विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया गया, जो आवश्यक था अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि वो संबंधित रिकॉर्ड पुनः मगवा कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करावे एवं प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार शाखा कार्यालय हाजा को भी निर्देशित किया जाता है कि की उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय द्वारा चाहे गये रिकॉर्ड को तत्काल प्रेषित करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एव पालनार्थ प्रेषित हो।	